न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–27.11.2025

मिशल संख्या:– 40 / 2024

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. अनिता पुत्री श्योजीराम धाकड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. आशा पुत्री श्योजीराम धाकड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. कमलेश देवी पत्नि स्व0 श्योजीराम धाकड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. खुशीराम पुत्र श्योजीराम धाकड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. साक्षी पुत्री श्योजीराम धाकड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. सीमा पुत्री श्योजीराम धाकड़ उम्र बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री बाबू लाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 1295 खसरा नम्बर 509 रकबा 0.45 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.45 है0 वाके तनग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही आराजी भूमि खसरा नम्बर 377 गै0मु0 रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 511 में बने हुए रास्ते से होकर अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में आते जाते रहे है तथा काश्तकारी कार्य करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि आने जाने वाला उक्त कदीमी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण कई अतिक्रमी व्यक्तियों द्वारा खसरा नम्बर 511 में बने हुए रास्ते को कांटों की बाड़ लगाकर अवरूद्ध कर दिया है तथा अब तारबंदी करने पर आमादा है। वर्तमान में काश्तकारी का समय है, रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी भूमि में कृषि संसाधन नही ले जा पा रहे है तथा समय पर फसल की देखरेख नही होगी तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त वर्णित खसरा नम्बर 511 में बने हुए कदीमी रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में तरमीम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता अपनी नितांत आवश्यकता के लिये लेना चाह रहे है। प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिये उक्त रास्ता ले रहा है। अप्रार्थी लेण्ड हॉल्डर होने प्रार्थना पत्र में फोरमल पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। प्रार्थी रास्ते की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थी भूमि खसरा न0 511 वाके तनग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में बने हुए

कदीमी रास्ते में से 15 फीट रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा सीट में रास्ते की तरमीम किये जाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:-

प्रार्थीगण की अपनी आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता। प्रस्तावित रास्ता रिकार्ड खसरा न0 518 से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित रास्ता खसरा न0 511 में से 75 मीटर लम्बा व 4.57 मीटर चौड़ा कुल क्षेत्रफल 342.75 वर्गमीटर होगा। प्रस्तावित रास्ता चाहे जाने वाली कृषि भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 348060/- प्रति0 है0 है जिसकी एक गुणा कुल राशि 11930 व दुगुनी 23860 रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड़ दीवार इत्यादि नहीं है। अप्रार्थी रास्ता देने हेतु सहमत नही। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार देवली के जवाब/रिपोर्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 509 रकबा 0.45 है0 में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा न0 511 रकबा 0.2800 है0 किस्म बारानी प्रथम अप्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय क्रमांक :राजस्व/2025/1073 दिनांक 04.10.2024 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार खाता नम्बर 1295 खसरा नम्बर 509 रकबा 0.4500 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.4500 है0 वाके तनग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग ख. नं. 511 रकबा 0.28 है0 में से 75 मीटर लम्बा व 4.57 मीटर चौड़ा कुल क्षेत्रफल 342.75 वर्गमीटर के लिए डीएलसी दर 348060/- प्रति0 है0 है जिसकी एक गुणा कुल राशि 11930 व दुगुनी 23860 रूपये प्रतिकर राशि जमा कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि जमा राजकोष करवाया जावे। पालना रिपोर्ट 30 दिवस में पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 27.11.2025 को सुनाया गया।

Ruby

उपखण्ड अधिकारी
देवली

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)